21/14

1195/08

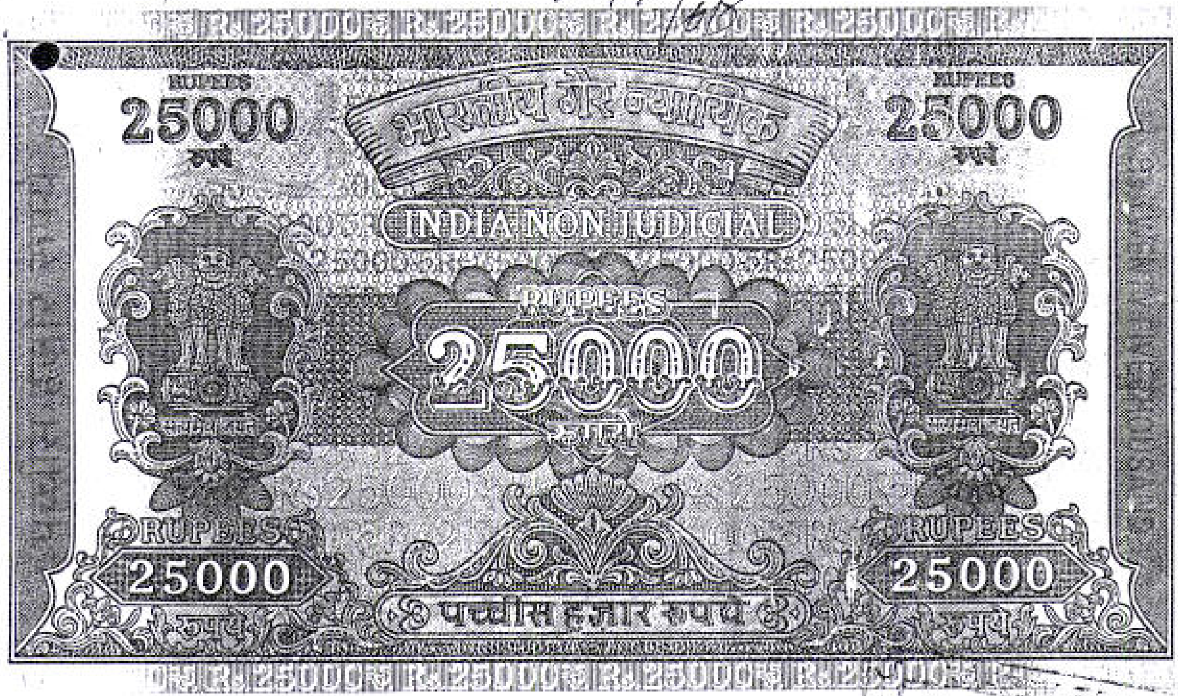

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

509661

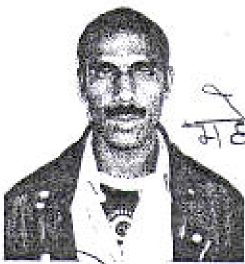

महेश

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 5,15,657/–
बाजारू मूल्य – रू0 4,07,750/–
अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 51,600/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 488 रकबा

महेश

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

509662

0.499 हे0, खसरा संख्या 596, रकबा 0.806 हे0, कुल रकबा 1.305 हे0 का 1/4 भाग अर्थात 0.3262 हे0, स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.3262 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

महेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 354034

लखनऊ कोषागार से जारी
31 JAN 2008
स. को. अ./ कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 488

उत्तर : खसरा नं0–487, 486
दक्षिण : खसरा नं0–583, 625
पूरब : खसरा नं0–484
पश्चिम : खसरा नं0–489, 490

चौहद्दी खसरा नं0 596

उत्तर : खसरा नं0–595, 621
दक्षिण : खसरा नं0–599, 600, 615, 616
पूरब : खसरा नं0–617, 619, 620
पश्चिम : खसरा नं0–594, 597, 598

प्रथम पक्ष की संख्या– 4 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

महेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 607266

1 DEC 2007

विकेतागण का विवरण	:	केता का विवरण
1. कौशल कुमार 2. मोहित कुमार 3. रोहित (तीनो नाबालिग) पुत्रगण स्व0 प्रेम कुमार द्वारा संरक्षिका माता राम प्यारी व स्वंय 4. राम प्यारी पत्नी स्व0 प्रेम कुमार, निवासीगण– रानीखेड़ा, बरौना, जिला लखनऊ।	:	महेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

महेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
R 587786
24 JAN 2008
स. को. ल./
आदर्श कोषागार
LKO

यह विक्रय विलेख 1. कौशल कुमार 2. मोहित कुमार 3. रोहित (तीनो नाबालिग) पुत्रगण स्व0 प्रेम कुमार द्वारा संरिक्षका माता राम प्यारी व स्वंय 4. राम प्यारी पत्नी स्व0 प्रेम कुमार, निवासीगण– रानीखेड़ा, बरौना, जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् महेश पुत्र भिश्री लाल, निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला

श्री राम प्यारी

महेश

फतेहपुर जिन्हें आगे **केता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 0.499 हे0, खसरा संख्या 596, रकबा 0.806 हे0, कुल रकबा 1.305 हे0 का 1/4 भाग अर्थात 0.3262 हे0, स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00154 के अनुसार भूमि विकेता के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विकेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। चूँकि विक्रेता ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए लोगों से ऋण ले रखा था इसलिए उसे अदा करने के लिए विकेता अपने नाबालिग बच्चों का सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रही है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विकेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विकेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विकेता ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विकेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विकेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या

सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **5,15,657/-** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रय शुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रय शुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रय शुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रय शुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की

महेश

चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगी ।

यह कि विकेता यह भी घोषित करती है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि केता विक्रय शुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेता भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 12,50,000/– प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3262 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,07,750/– होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **51,600/–** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से

महेश

विक्रय पत्र

515,657.00/	**408,000.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती राम प्यारी स्वय ब बहै संरक्षिका माता कौशलकु मोहित आदि

पुत्र / पत्नी श्री स्व.प्रेम कुमार

पेशा गृहिणी

निवासी स्थायी रानीखेडा लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/2/2008 समय 4:27PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राम प्यारी स्वय ब बहै संरक्षिका माता कौशलकु मोहित आदि
पुत्र/पत्नी श्री स्व.प्रेम कुमार
पेशा गृहिणी
निवासी रानीखेडा लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती महेश
पुत्र/पत्नी श्री मिश्रीलाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

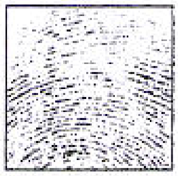

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री संजीव
पुत्र श्री बीर बहादुर
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ

व श्री त्रिमोहन
पुत्र श्री राम दुलारे
पेशा व्यापार
निवासी अचली खेडा करोरा लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
2/2/2008

लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 5,15,657/– द्वारा चेक संख्या– 583329 दिनांकित 02.02.2008 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 5,15,657/– (रूपया पांच लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तावन मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 02.02.2008

गवाह :–क्रेता की पहचान की

1. Sanjay Kr S/o B Bahadur Lalbagh Lucknow.

विक्रेता

महेश

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

त्रिमोहन S/o श्री राम दुलारे
ग्राम-अचल खेड़ा, बंथरा, लखनऊ

टाईपकर्ता

(अरूण तिवारी)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 1199 Year : 2008 Book No. 1

0101 राम प्यारी स्वय ब बहै संरक्षिका माता कौशलकु मोहित आदि

स्व.प्रेम कुमार

रानीखेडा लखनऊ

गृहिणी

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– 588, 596

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

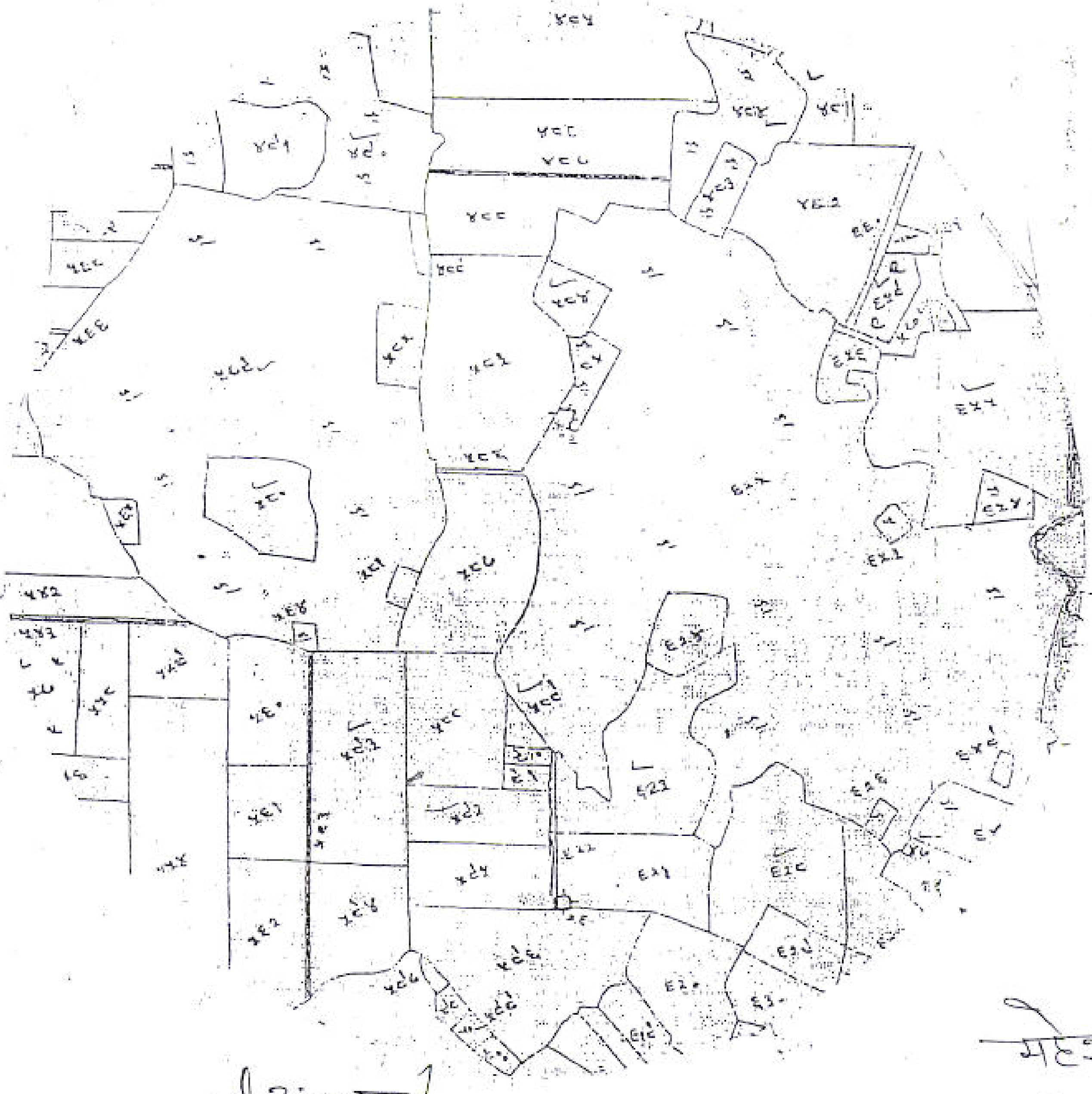

मोहेश

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

Registration No. 1199 Year : 2008 Book No. 1

0201 महेश

मिश्रीलाल

ग्राम मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

कृषि

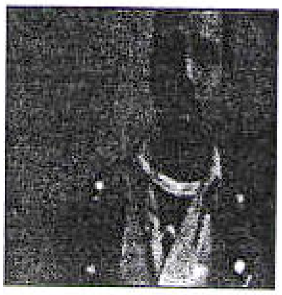

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– श्री रामकिशोर, मोहितकुमार, रोहित
[illegible] सरहिन्द [illegible]
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

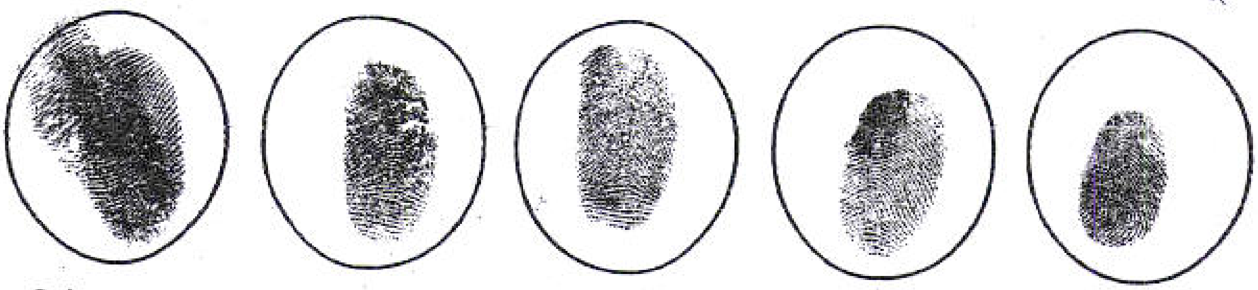

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

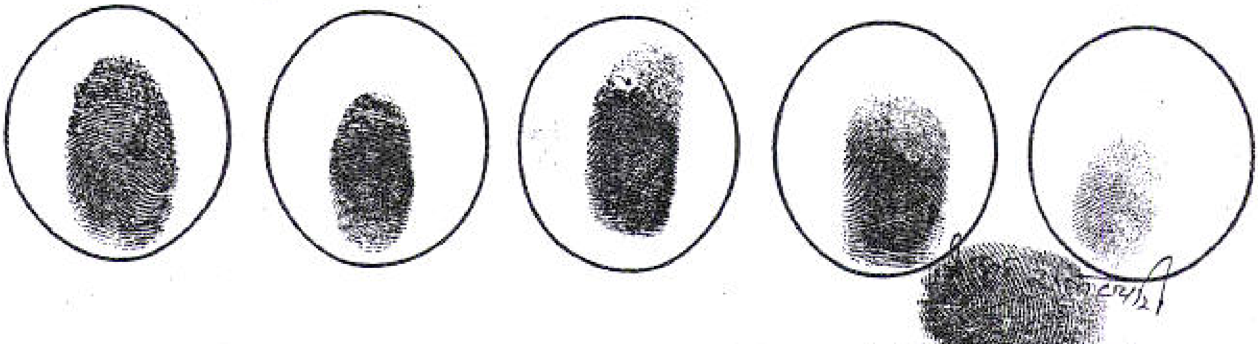

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

~~विक्रेता~~ / क्रेता नाम व पता :– महेश
ग्रा० [illegible], फतेहपुर
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

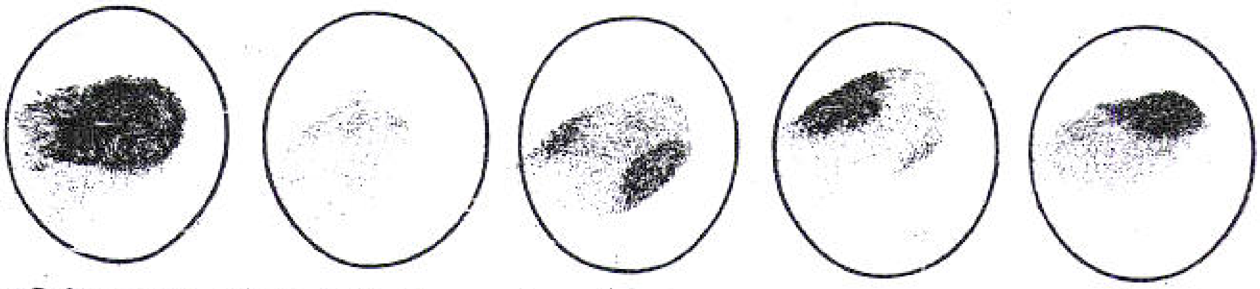

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

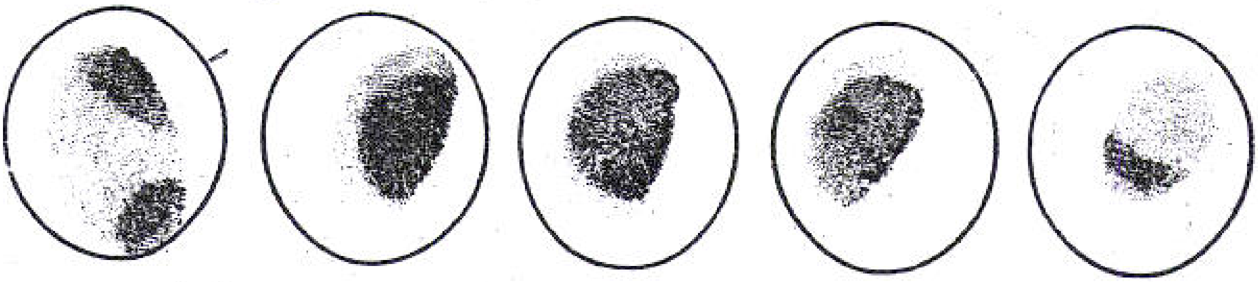

महेश

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 02/02/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 8897

पृष्ठ सं. 1 से 22 पर कमांक 1199

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के.पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/2/2008